

# Haryana Government Gazette

# **EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana No. 158–2018/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018 (BHADRA 27, 1940 SAKA)

#### हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 18 सितंबर, 2018

संख्या **85 / जीएसटी—2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
  - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
- 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, प्ररूप जीएसटीआर 9क के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:—

# "प्ररूप जीएसटीआर-9ग

[देखिये नियम 80(3)]

भाग क - समाधान विवरण

#### भाग. I

# मूलभूत ब्यौरे

1	वित्तीय वर्ष	
2	जीएसटीआईएन	
3क	विधिक नाम	<स्व>
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्व>
4	क्या आप किसी आं	धेनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ? <<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>
		(सभी सारणियों में राशि रूपए में)

भाग. II	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान				
5	सकल आवर्त का समाधान				
क	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (निर्यात सिहत) (उसी स्थायी लेखा संख्या के अधीन बहु—जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)				
ख	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)			
ग	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)			
घ	अनुसूची—1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)			
ਭ.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी जमा पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)			
च	व्यापार बहा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)			
ঘ	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)			
<b>ज</b>	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)			
झ	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)			
স	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा—जोखा दिए गए जमा पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)			
ਟ	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)			
ਰ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)			
ड	धारा 15 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(-/+)			
ढ	विदेशी मुद्रा उतार—चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(-/+)			
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(-/+)			
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त				
থ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) में यथाघोषित आवर्त		<b>्स्व</b> >		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ—त)		एटी1		
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण				
क	कारण 1 <<पाठ>>				
ख	कारण २ <<पाठ>>				
ग	कारण 3 <<पाठ>>				
7	कराधेय आवर्त का समाधान				
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)	<b>्स्व</b> >			
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का				
ग	कर के भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय				

घ	ऐसे प्रदाय, जिन प जाना है।	र कर का भुग	ातान रिवर्स !	प्रभार आधार पर	प्राप्तिकर्ता द्वारा	किया					
ভ.	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क – ख – ग – घ)						>				
   <b>ਹ</b>		वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन–9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त									
	,	·	,	· 3							
ਬ	असमाधानकृत करा						एटी	2			
8	कराधेय आवर्त में उ	असमाधानकृत	अन्तर के लि	ाए कारण							
क	कारण 1		<<पाठ>>								
ख	कारण 2		<<पाठ>>								
ग	कारण 3		<<पाठ>>								
भाग. III	भुगतान किए गए										
9	दर-वार दायित्व त	था उस पर १	<b>गु</b> गतान योग्य								
				भुगतान योग्य	कर			1			
	वर्णन	कराधेय मूल	य	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ	एकीकृत व	<del>हर</del>	उपकर,			
					कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर			यदि लागू हो			
	1	2		3	4	5		6			
क	5%										
ख	5% (आरसी)										
ग	12%										
घ	12% (आरसी)										
ভ.	18%										
च	18% (आरसी)										
ਬ	28%										
<b>ज</b>	28% (आरसी)										
झ	3%										
স	0.25%										
ਟ	0.10%										
ਰ	ब्याज										
ड	विलम्ब फीस %										
ਫ	शास्ति										
ण	अन्य										
त	उपरोक्त सारणियों के अनुसार भुगतान की <स्व> <स्व> <स्व> <स्व>					< <del>₹</del> <i>व</i> >					
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) में यथाघोषित भुगतान की जाने वाली कुल राशि										
द	राशि का असमाधान	नकृत भुगतान				पीटी 1		राशि का असमाधानकृत भुगतान पीटी 1			

10	राशि के असमाधान	राशि के असमाधानकृत भुगतान के लिए कारण				
क	कारण 1 <<पाठ>>>					
ख	कारण 2 <<पाठ>>					
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
11	अतिरिक्त भुगतान य विनिर्दिष्ट कारणों र	गोग्य राशि, किन्तु जिसका वे)	भुगतान नहीं वि	म्या गया (उपरो	क्त सारणी 6	, 8 और 10 के अधीन
			नकदी के माध	यम से भुगतान		
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत व	कर उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब फीस %					
	शास्ति					
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					
भाग. IV		इनपुट क	र प्रत्यय (आईटी	सी) का समाधान	ſ	
12	शुद्ध इनपुट कर प्रव	त्यय (आईटीसी) का समाध	ग्रान			
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्या के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)					
ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्ष में बुक किए गए इनपुट (+) कर प्रत्यय (आईटीसी)					
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक (–) किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)					
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग किया गया इनपुट प्रत्यय <स्व>					< <del>v</del> a>
ड.	वार्षिक रिटर्न (जीए	सटीआर–9) में दावाकृत इ	इनपुट कर प्रत्यय	ī		
च	असमाधानकृत इनपु	ट कर प्रत्यय (आईटीसी)				आईटीसी 1

13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण				
क	कारण 1 <<पाठ>>					
ख	कारण 2 <<पाठ>>>					
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
14	संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणे वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) ग	ं या लेखा बहियों के अन् नें घोषित आईटीसी का र	रुसार खर्चों पर उपभोग किए गए तमाधान	ु आईटीसी सहित		
	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल राशि	उपभोग किए गए पात्र आईटीसी की राशि		
	1	2	3	4		
क	क्रय					
ख	भाड़ा/ढुलाई					
ग	ऊर्जा और ईंधन					
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त सहित)					
ड.	किराया और बीमा					
च	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में निपटान					
ਬ	स्वामिस्व					
ज	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।)					
झ	प्रवहण प्रभार					
স	बैंक प्रभार					
ਟ	मनोरंजन प्रभार					
ਰ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)					
ड	मरम्मत और अनुरक्षण					
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय					
ण	पूंजी माल					
त	कोई अन्य व्यय 1					
থ	कोई अन्य व्यय 2					
द	उपभोग की गई पात्र आईटीसी व	मी कुल राशि	•	<<स्व>>		
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9)	में दावा कृत आईटीसी				
न	असमाधानकृत आईटीसी			आटीसी 2		

15	आईटीसी में असमा	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण				
क	कारण 1	कारण 1 <<पाठ>>				
ख	कारण 2 <<पाठ>>					
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
16	आईटीसी में असमा	धानकृत अंतर पर भुगतान	योग्य कर (उपरो	क्त 13 और 15	में विनिर्दिष्ट कार	णों से)
	वर्णन	भुगतानयोग्य राशि				
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	एकीकृत कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	शास्ति					
भाग. V		गैर—समाधान	के कारण अतिरि	क्त दायित्व पर	संपरीक्षक की सिफ	ारिश
			नकदी के माध	यम से भुगतान वि	केया जाए	
	वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	इनपुट कर प्रत्यय					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	वार्षिक विवरणी (जीएसीटीआर—9) में सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए भुगतान की गई कोई अन्य राशि					

वापस भुगतान के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय			
परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे			
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			

#### सत्यापन:

में, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और स्टांप/मुद्रा)
स्थान :
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :
सदस्यता संख्या :
तिथि :
पूरा पता :
••••••

# अनुदेश :-

- 1. प्रयुक्त पद :
  - (क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या
- 2. वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे इस विवरण में दिए जाएं । समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से दायर किया जाए ।
- 3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रतिनिर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण दायर किया जा रहा है ।
- 4. भाग—2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर—9 में प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथा घोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:—

सारणी संख्या	अनुदेश
5क.	संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रिजस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है । यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/हिस्तियों के लिए सामान्य है । ऐसे व्यक्तियों/हिस्तियों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा । इसमें निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) शामिल होगा । यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/हिस्तियों के मामले में लेखाबिहयों के प्रतिनिर्देश भी है ।
5ख.	बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

सारणी संख्या	अनुदेश
	(उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का भुगतान किया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।
5ग.	ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का भुगतान किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5घ.	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची—1 के अधीन समझे गए प्रदायों का समग्र मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । समझा गया कोई ऐसा प्रदाय, जो संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
5ड.	चालू वित्तीय वर्ष में गणना किए गए किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी जमापत्रों का समग्र मूल्य, किंतु ऐसे जमापत्र वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर—9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।
5च.	व्यापार छूटें, जिसका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी ।
5ਓ.	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।
5ज.	बिना तैयार किये गए बिल वाला चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व, जो लेखांकन के प्रोद्रभवन प्रणाली के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था, किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर भुगतानयोग्य नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5झ.	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है, किंतु जिसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5স.	जमापत्रों का समग्र मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में दिया गया है किंतु यह हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਟ.	एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का समग्र मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल दायर किया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਰ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । संपरीक्षित वार्षिक विवरण के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ—साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा कर का भुगतान किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ड	ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।
5ढ.	विदेशी विनिमय घट बढ़ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ण.	उपरोक्त सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5त.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्या 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा ।
6.	संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर—समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

सारणी संख्या	अनुदेश
7.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है ।
7क.	उपरोक्त सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक आवर्त बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
7ख.	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर–माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इसमें जमापत्रों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, का शुद्ध रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ग.	शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें जमापत्रों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, का शुद्ध रिपोर्ट किया जाएगा ।
7घ.	रिवर्स प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें जमापत्रों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, का शुद्ध रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ਫ.	कराधेय आवर्त को उपरोक्त सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, 7ग और 7घ में उपरोक्त घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर–माल और सेवा कर, रिवर्स प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है ।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 4ढ में यथाघोषित कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा ।
8.	सारणी 7ङ से यथा व्युत्पन्न समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर—समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

5. भाग III समाधान विवरण में घोषणा के अनुसार भुगतानयोग्य कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में यथाघोषित वास्तविक भुगतान किए गए कर से मिलकर बना है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

9.	सारणी समाधान विवरण के अनुसार भुगतान किए गए कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में यथाघोषित भुगतान कर की राशि का उपबंध करती है । "आरसी" के रूप में चिह्नित शीर्ष के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान विवरण तैयार किया गया है) द्वारा रिवर्स प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार भुगतान की जाने वाली कुल राशि बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
9왝.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में यथाघोषित भुगतान योग्य राशि, यहां घोषित की जाएगी । इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में भुगतान किए गए किसी अंतर वाले कर भी अंतर्विष्ट होने चाहिए ।
10.	उपरोक्त सारणी 9त में घोषित भुगतानयोग्य दायित्व के बीच गैर—समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में भुगतानयोग्य राशि यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
11.	उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से भुगतानयोग्य कोई राशि, यहां घोषित की जाएगी ।

6. भाग IV इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है । भाग IV को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी संख्या	अनुदेश
12क.	संपरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (रिवर्सल के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान हो सकते हैं। यह बहु राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/हस्तियों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/हस्तियों को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह नोट किया जाये कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रतिनिर्देश में बहु राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/हस्तियों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित हैं।

सारणी संख्या	अनुदेश
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान विवरण दायर किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था, किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
12घ.	संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो उपरोक्त सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से यथा व्युत्पन्न है, बिना हस्तक्षेप के यहां भरा जाएगा ।
12ड.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ञ में यथाघोषित उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा ।
13.	संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग की गई शुद्ध आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर—समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
14.	यह सारणी संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा बिहयों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपशीर्ष संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा बिहयों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी उपलब्ध हो सकती या नहीं हो सकती। आगे, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का भुगतान किया गया है/भुगतान योग्य है, यहां घोषित किया जाएगा।
14द.	उपरोक्त सारणी 14क से 14थ घोषित कुल आईटीसी, बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
14ध.	वार्षिकी विवरणी (जीएसटीआर 9) में यथाघोषित उपभोग की गई शुद्ध आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ञ को इस सारणी को भरने करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।
15.	सारणी 14द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 14ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर—समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
16.	उपरोक्त सारणी 13 और सारणी 15 में विनिर्दिष्ट कारणों के कारण भुगतानयोग्य कोई राशि, यहां घोषित की जाएगी ।

- 7. भाग 5 आवर्त के गैर—समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर—समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है । संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि यदि प्रदाय के लिए भुगतान की गई कोई और राशि वार्षिक विवरणी में सिम्मिलित नहीं है । कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस भुगतान किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा । अंतत: कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी ।
- 8. समाधान कथन के अंत में करदाताओं को संपरीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार अपने करों के भुगतान का विकल्प दिया जा सकेगा ।

#### "भाग-ख - प्रमाणीकरण

I- उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान विवरण (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

*	मैंने/हमने—	
	(ক)	को तुलन–पत्र की ;
	(ख)	से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि
		नेखा और/आय और व्यय लेखा की ;

	(ग)	प्रवाह 1	लग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद विवरण, मैसर्स (नाम) (पता) (पता) टीआईएन) की ;
பரிவ	कर ली	•	टाजाइएन) पर्ग ,
2.			के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
*ने एव	जीकृत म गए निय	ाल और	र सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/< >माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण
बनाए		ामों/जारी	र सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/< >माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन ो की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण
	1.		
	2.		
	3.		
3.	(ক)	* मैं/हम	निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/किमयों/अंसगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :
	(ख)	′मैं/हम	यह और रिपोर्ट करते हैं कि,
		(अ)	'मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।
		(आ)	मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।
		(इ)	मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन—पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।
4.	अपेक्षित	दस्ताव	और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए वेज और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत लिए अपेक्षित समाधान विवरण प्ररूप संख्या जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।
5.	निम्नलि	ाखित प्रे	य में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप संख्या जीएसटीआर 9ग में दी गई य और सही है :
	(ক)		
	(ख)		
	(ग)		
** (	संपरीक्षव	<b>क</b> के ह	स्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान			
हस्ता	क्षरी का	नाम	
पूरा	पता		

3024	HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 18, 2018 (BHDR. 27, 1940 SAKA)
II- जाना	ं उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :
	*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता संख्या धारण करने वाले मैसर्स (हैसियत के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और ' मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तिथि को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं ।
	(क) को तुलन—पत्र ;
	(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अविध के लिए * लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय लेखा ;
	(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण ; और
	(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन—पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।
2.	मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
	* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/< > माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है ।
	* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/< > माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण नहीं किया है ।
	1.
	2.
	3.
	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ाज और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए त समाधान कथन प्ररूप संख्या जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।
	*मेरी/हमारी राय में और 'मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित लेखा बहियों की परीक्षा गुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं :
	(ক)
	(ख)
	(π)

..... \*\* (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील) स्थान : हस्ताक्षरी का नाम ..... सदस्यता संख्या ..... तिथि: ..... पूरा पता .....''।''।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### **Notification**

The 18th September, 2018

- **No. 85/GST-2.** In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
  - (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, after **FORM GSTR-9A**, the following FORM shall be inserted, namely:-

#### "FORM GSTR-9C

See rule 80(3)

PART – A - Reconciliation Statement

1	Financial Year								
2	GSTIN								
3A	Legal Name	< Auto>							
3B	Trade Name (if any)	<auto></auto>							
4	Are you liable to	audit under any Act?		< <please specify="">&gt;</please>					
			(Amount in	₹ in all tables)					
Pt. II	Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR 9)								
5	Reconciliation of	f Gross Turnover							
A	Turnover (including exports) as per audited financial statements for the State / UT (For multi-GSTIN units under same PAN the turnover shall be derived from the audited Annual Financial Statement)								
В	Unbilled revenue	e at the beginning of Financial Year		(+)					
C	Unadjusted adva	nces at the end of the Financial Year		(+)					
D	Deemed Supply	under Schedule I		(+)					
Е	Credit Notes issu the annual return	ed after the end of the financial year but re	eflected in	(+)					
F		accounted for in the audited Annual Finan e not permissible under GST	cial	(+)					
G	Turnover from A	pril 2017 to June 2017		(-)					
Н	Unbilled revenue	e at the end of Financial Year		(-)					
I	Unadjusted Adva	ances at the beginning of the Financial Yea	ır	(-)					
J		ounted for in the audited Annual Financial not permissible under GST		(-)					
K	Adjustments on a Units	account of supply of goods by SEZ units to	) DTA	(-)					
L	Turnover for the	period under composition scheme		(-)					
M	Adjustments in to	urnover under section 15 and rules thereun	der	(+/-)					
N	Adjustments in to	urnover due to foreign exchange fluctuatio	ns	(+/-)					
O	Adjustments in to	urnover due to reasons not listed above		(+/-)					

P	Annual turnover after adjustments as above <auto></auto>										
Q	Turnover as decl										
R	Un-Reconciled t	urnover (Q - 1	2)	<u> </u>			AT1				
6	Reasons for Un			in Annual Gro	oss Turnover						
A	Reason 1		< <text>&gt;&gt;</text>								
В	Reason 2		< <text>&gt;&gt;</text>								
С	Reason 3 < <text>&gt;</text>										
7	Reconciliation of Taxable Turnover										
A	Annual turnover after adjustments (from 5P above) <auto></auto>										
В	Value of Exemp	ted, Nil Rated	, Non-GST	supplies, No-S	upply turnove	r					
C	Zero rated suppl	ies without pa	yment of ta	X							
D	Supplies on which	ch tax is to be	paid by the	recipient on re	verse charge b	asis					
E	Taxable turnover	r as per adjust	ments abov	e (A-B-C-D)			<auto></auto>				
F	Taxable turnover	r as per liabili	ty declared	in Annual Retu	rn (GSTR9)						
G	Unreconciled tax	able turnover	(F-E)				AT 2				
8	Reasons for Un	- Reconciled	difference	in taxable tur	nover						
A	Reason 1		< <text>&gt;</text>								
В	Reason 2		< <text>&gt;</text>								
C	Reason 3		< <text>&gt;</text>								
Pt. III	Reconciliationo	f tax paid									
9	Reconciliation of	of rate wise li	ability and	amount payab	ole thereon						
				Tax payable							
	Description	Taxable Va	lue	Central tax	State tax / UT tax	Integr	ated Tax	Cess, if applicable			
	1	2		3	4	5		6			
A	5%										
В	5% (RC)										
C	12%										
D	12% (RC)										
E	18%										
F	18% (RC)										
G	28%										
Н	28% (RC)										
I	3%										
J	0.25%										
K	0.10%										
L	Interest										
M	Late Fee										
N	Penalty										
О	Others										
P	Total amount to above	be paid as per	tables	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto< td=""><td>&gt;</td><td><auto></auto></td></auto<>	>	<auto></auto>			

Q	Total amount pa Return (GSTR 9	aid as declared in Annual					
R	Un-reconciled p	ayment of amount	1	<b>-</b>	PT 1		1
10	Reasons for un	-reconciled payment of a	amount				
A	Reason 1	< <text>&gt;</text>					
В	Reason 2	< <text>&gt;</text>					
С	Reason 3	< <text>&gt;</text>					
11	Additional amo	ount payable but not pai	d (due to reaso	ons specified <b>u</b>	ınder Ta	ables 6,8 and	l 10 above)
			To be paid th	rough Cash			
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Integra	ated tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5		6
	5%						
	12%						
	18%						
	28%						
	3%						
	0.25%						
	0.10%						
	Interest						
	Late Fee						
	Penalty						
	Others (please specify)						
Pt. IV	Reconciliation	of Input Tax Credit (IT	C)				
12	Reconciliation	of Net Input Tax Credit	(ITC)				
A		per audited Annual Financ nits under same PAN this					
В	ITC booked in e Year	earlier Financial Years cla	imed in current	Financial	(+)		
С	ITC booked in c Financial Years	current Financial Year to b	pe claimed in su	ıbsequent	(-)		
D	ITC availed as p		<auto></auto>				
Е	ITC claimed in						
F	Un-reconciled I'		ITC 1				
13	Reasons for un	-reconciled difference in	ITC				
A	Reason 1	< <text>&gt;</text>	>				
В	Reason 2	< <text>&gt;</text>	>				
С	Reason 3	< <text>&gt;</text>	> <u></u>				

14			ed in Annual Rei atementor books	turn (GSTR9) with ITC avof account	aneu on expenses as per
	Description		Value	Amount of Total ITC	Amount of eligible ITC availed
	1		2	3	4
A	Purchases				
В	Freight / Carriage	;			
С	Power and Fuel				
D	Imported goods (I received from SE.	Including Zs)			
Е	Rent and Insurance				
F	Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples				
G	Royalties				
Н	Employees' Cost (wages, Bonus etc.				
I	Conveyance charg	ges			
J	Bank Charges				
K	Entertainment cha	arges			
L	Stationery Expensions (including postage				
M	Repair and Mainte	enance			
N	Other Miscellaned expenses	ous			
О	Capital goods				
P	Any other expens	e 1			
Q	Any other expens	e 2			
R	Total amount of e	ligible ITC	availed		< <auto>&gt;</auto>
S	ITC claimed in A	nnual Returi	n (GSTR9)		
Т	Un-reconciled IT	С			ITC 2
15	Reasons for un -	reconciled	difference in ITC		
A	Reason 1		< <text>&gt;</text>		
В	Reason 2		< <text>&gt;</text>		
С	Reason 3		< <text>&gt;</text>		
16	Tax payable on u	un-reconcile	d difference in IT	TC (due to reasons specifie	d in 13 and 15 above)
	Description	Amount Pa	yable		
	Central Tax				
	State/UT Tax				
	IntegratedTax				
	Cess				

Interest	
Penalty	

# Pt. V Auditor's recommendation on additional Liability due to non-reconciliation

		To be paid through Cash						
Description	Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable			
1	2	3	4	5	6			
5%								
12%								
18%								
28%								
3%								
0.25%								
0.10%								
Input Tax Credit								
Interest								
Late Fee								
Penalty								
Any other amount paid for supplies not included in Annual Return (GSTR 9)								
Erroneous refund to be paid back								
Outstanding demands to be settled								
Other (Pl. specify)								

# Verification:

I hereby solemnly a	ffirm and	declare t	hat the	information	given	herein	above	is true	and	correct	to th	e best	of	my
knowledge and belie	f and noth	ing has b	een con	cealed there	from.									

Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address

\*\*(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

#### Instructions: -

- Terms used:
  - (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- 2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
- 3. The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
- 4. Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in FORM GSTR-9 for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions			
5A	The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.			
5B	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual syste accounting in the last financial year and was carried forward to the current financial year sha declared here. In other words, when GST is payable during the financial year on such rev (which was recognized earlier), the value of such revenue shall be declared here.  (For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the financial year 2016-17 during the current financial year, GST was paid on rupees Four Crores of such revenue, then we of rupees Four Crores rupees shall be declared here)			
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.			
5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the HGST Act, 2017 shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be included here.			
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31st of March for any supply accounted in the current financial year but such credit notes were reflected in the annual return (GSTR-9) shall be declared here.			
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial Statement but on which GST was leviable (being not permissible) shall be declared here.			
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to June 2017 shall be declared here.			
5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting during the current financial year but GST was not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.			
5I	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.			
5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the HGST Act shall be declared here.			
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the DTA units have filed bill of entry shall be declared here.			
5L	There may be cases where registered persons might have opted out of the composition scheme during the current financial year. Their turnover as per the audited Annual Financial Statement would include turnover both as composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.			

Table No.	Instructions			
5M	There may be cases where the taxable value and the invoice value differ due to valuation principunder section 15 of the HGST Act, 2017 and rules there under. Therefore, any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared here.			
5N	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to foreign exchange fluctuations shall be declared here.			
50	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to reasons not listed above shall be declared here.			
5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual Return (GSTR 9).			
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be specified here.			
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual return (GSTR-9).			
7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be auto-populated here.			
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.			
7C	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.			
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.			
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies (exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D above.			
7F	Taxable turnover as declared in Table 4N of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here.			
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F shall be specified here.			

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions		
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per reconciliation statement and amount of tax paid as declared in Annual Return (GSTR 9). Under the head labelled "RC", supplies where tax was paid on reverse charge basis by the recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has been prepared ) shall be declared.		
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A to 9O is auto populated here.		
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. It should also contain any differential tax paid on Table 10 or 11 of the Annual Return (GSTR9).		
10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability declared in Table 9P above and the amount payable in Table 9Q shall be specified here.		
11	Any amount which is payable due to reasons specified under Table 6, 8 and 10 above shall be declared here.		

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions			
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their ITC for each individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.			
12B	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s) but availed in the ITC ledger in the financial year for which the reconciliation statement is being filed for shall be declared here. This shall include transitional credit which was booked in earlier years but availed during Financial Year 2017-18.			
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial Statement of the current financial year but the same has not been credited to the ITC ledger for the said financial year shall be declared here.			
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of accounts as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C above will be auto-populated here.			
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual Return (GSTR9) shall be declared here.			
13	Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table12E) availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.			
14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return (GSTR9) against the expenses booked in the audited Annual Financial Statement or books of account. The various sub-heads specified under this table are general expenses in the audited Annual Financial Statement or books of account on which ITC may or may not be available. Further, this is only an indicative list of heads under which expenses are generally booked. Taxpayers may add or delete any of these heads but all heads of expenses on which GST has been paid / was payable are to be declared here.			
14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated here.			
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for filing this Table.			
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various expenses declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be specified here.			
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and 15 above shall be declared here.			

- 7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
- 8. Towards, the end of the reconciliation statement taxpayers shall be given an option to pay their taxes as recommended by the auditor.

# PART – B- CERTIFICATION

* I/w	e have	examin	ned the—	
(a)	a) balance sheet as on			
(b)		-	and loss account/income and expenditure account for the period beginning o ending on, and	from
(c)	herev	with, c	w statement for the period beginning from to ending on	
			(GSTIN).	
2.	Base		ar audit I/we report that the said registered person—	
	IGST		maintained the books of accounts, records and documents as re-	quired by the
	IGST		not maintained the following accounts/records/documents as req C/< >GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under:	uired by the
		1.		
		2.		
		3.		
3.	(a)		re report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistenc	ies; if any:
	(b)		e further report that, -	
	(0)	(A)	*I/we have obtained all the information and explanations which, to the b	sect of *my/ou
		(11)	knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ in explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were no purpose of the audit were not provided/partially provided to us.	nformation and
		(B)	In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by person so far as appears from*my/ our examination of the books.	y the registered
		(C)	I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and experand the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with account maintained at the Principal place of business at	n the books o
4.	The documents required to be furnished under section 35 (5) of the HGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the HGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.			
5.	*me/	us, the	opinion and to the best of *my/our information and according to explan particulars given in the said Form No. GSTR-9C are true and correct subject/qualifications, if any:	
	(a)			
	(b)			
	(c)			
**(Si	ignatur	e and st	amp/Seal of the Auditor)	
Place	e:			
Name	e of the	signate	ory	
			··········	
	address			

Date: .....

Full address .....".

II. other

	fication in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person he person who had conducted the audit of the accounts:
M/s. bearin	*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of
(a)	balance sheet as on
(b)	the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on,
(c)	the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and
(d)	documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.
2.	I/we report that the said registered person—
	*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/< >GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under
	*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/< >GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under:
	1.
	2.
	3.
3.	The documents required to be furnished under section 35 (5) of the HGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the HGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.
4.	In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:
	(a)
	(b)
	(c)
**(Si	gnature and stamp/Seal of the Auditor)
Place	:
Name	e of the signatory
Meml	bership No

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.